(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी बृजमोहन बैरवा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 344 / 2021

रजिस्ट्रेशन सं0 :– 2021 / 405

बउनवान

हरिबल्लभ आयु 74 वर्ष पुत्र बद्रीदास जाति बैरागी निवासी छीपाबड़ौद तहसील छीपाबड़ौद जिला बाराँ

(अपीलांट)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छीपाबड़ौद जिला बाराँ
2. राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलक्टर, जिला बाराँ

(रेस्पोडेन्टगण)

अपील विरूद्ध तहसीलदार छीपाबड़ौद के तस्दीकी इंतकाल नं0 689 दिनांक 26.07.1982 कस्बा छीपाबड़ौद की अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :– 1– श्री बाबूलाल जैन अभिभाषक (अपीलांट)

2– पेरोकार सरकार (रेस्पोडेन्टगण)

निर्णय दिनांक 13.04.2022

प्रकरण इस प्रकार है कि इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 92 / 2015 किस्म अपील इंतकाल अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 बनवान हरिबल्लभ बनाम सरकार मे पारित निर्णय दिनांक 19.08.2019 की अपील अपीलांट द्वारा न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, कोटा संभाग कोटा मे करने पर उनके द्वारा प्रस्तुत अपील को उनके न्यायालय के प्रकरण संख्या 96 / 2019 पर अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रकरण में उनके द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.10.2021 से इस न्यायालय को प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाकर उपरोक्त विवेचित तथ्यों / दिशा–निर्देशों का समुचित परीक्षण कर प्रकरण में पुनः गुणावगुण के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु आदेशित किया गया।

प्रकरण इस न्यायालय मे पुनः दिनांक 13.12.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलांट को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अपीलांट द्वारा जर्ये श्री बाबूलाल जैन अभिभाषक के उपस्थिति दी गई। प्रकरण में रेस्पो. क्रम 1 व 2 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित है। प्रकरण में उभयपक्ष के अभिभाषक की न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, कोटा संभाग कोटा द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुरूप बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.04.26 15:50:07 IST
Reason: SelfAttested

अपीलांट के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत अपील के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छीपाबड़ौद द्वारा तस्दीकी इन्तकाल नंबर 689 दिनांक 26.07.1982 कस्बा छीपाबड़ौद जिला बारॉ अप्रसन्न होकर विरूद्ध रेस्पोडेन्टगण के अपील इस न्यायालय मे पूर्व में प्रस्तुत की गई थी जो न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, कोटा से रिमाण्ड होकर इस न्यायालय में प्राप्त हुई।

प्रस्तुत अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट इंतकाल नम्बर 689 दिनांक 26.07.1982 कस्बा छीपाबडौद जिला बारॉ को निरस्त करवाकर अपीलांट के खातेदारी मे दर्ज करने हेतु अपील प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि :–

कस्बा छीपाबडौद जिला बारॉ मे खसरा नम्बर 603 रकबा 6 बिस्बा, खसरा नम्बर 606 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 604/1288 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 608/1289 रकबा 5 बिस्वा किता 4 कुल रकबा 2 बीघा 01 बिस्वा स्थित है। जो ब्रदीदास पुत्र गोपीदास जाति बैरागी के नाम पर खाते दर्ज चली आ रही थी। लेकिन अपीलांट के पिताजी मन्दिर पुजारी थे, जिनके पास मन्दिर माफी की अन्य भूमियां थी। जो राज्य सरकार के आदेश से सन् 65 से पूर्व पुजारी के नाम खाता दर्ज से हटाकर मन्दिर माफी श्री रामचन्द्र जी विराजमान खाते दर्ज कर दी गई थी।

अपीलांट के पिताजी के स्वंय के खाते की आराजी 2 बीघा 01 बिस्वा का मन्दिर के नाम खाते दर्ज होने का मालूम होने पर उन्होने न्यायालय सहायक कलेक्टर, छबडा मे वाद प्रस्तुत किया, जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 31.03.1966 को पूर्व का इन्द्रांज मन्दिर माफी रामचन्द्र जी महाराज को निरस्त कर अपीलांट के पिताजी बद्रीदास पुत्र गोपीदास बैरागी निवासी छीपाबडौद के खाते दर्ज होने का आदेश पारित किया गया।

जिला कलक्टर कोटा के आदेशानुसार सन् 1982 मे हल्का पटवारी द्वारा इन्तकाल नम्बर 147 दिनांक 31.03.1966 को निरस्त कर, दिनांक 26.07.1982 को इंतकाल नम्बर 689 खोलकर अपीलांट के पिताजी बद्रीदास पुत्र गोपीदास बैरागी निवासी छीपाबडौद को खारिज कर, मन्दिर श्री रामचन्द्र जी महाराज के नाम खाते दर्ज कर दिया। जबकि उक्त आराजी अपीलांट के पूर्वजो की स्वंय की थी। जो गलत रूप से मन्दिर माफी दर्ज हो गई है।

अपीलांट उक्त आराजी का 100 वर्षो से भी अधिक समय से रजिस्टर्ड खातेदार है। जिसे अवैध रूप से अपीलांट के खाते से हटाकर मन्दिर माफी दर्ज की गई है। जिसे निरस्त करवा कर अपीलांट स्वंय के खाते दर्ज करवाने का अधिकारी है।

इस इंतकाल से ग्राम छीपाबडौद की बद्रीदास पुत्र गोपीदास पिता अपीलांट के खाते की 11 किता 25 बीघा 11 बिस्वा भूमि को श्री रामचन्द्र जी के खाते दर्ज की है। इस भूमि मे से केवल खसरा नम्बर 603 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 606 रकबा 11 बिस्वा खसरा नम्बर 404/1288 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 608/1289 रकबा 5 बिस्वा कुल 4 किता 2 बीघा 1 बिस्वा भूमि बाबत यह अपील है।

उक्त 2 बीघा 1 बिस्वा भूमि मूर्ति श्री रामचन्द्र जी की भूमि नही है, पहले यह भूमि मूर्ति के खाते गलत दर्ज कर दी थी। इसलिये अपीलांट के पिता बद्रीदास ने न्यायालय सहायक कलक्टर, छबडा के यहॉ धारा 15,88,89 राज.टे.एक्ट के तहत सरकार के विरूद्व दावा किया, जो न्यायालय द्वारा डिग्री किया तथा भूमिया अपीलांट के पिता के खाते दर्ज करने का निर्णय देकर डिग्री किया गया था। न्यायालय से डिग्री करने का अंकन इंतकाल नम्बर 147 दिनांक 31.03.1966 मे है। इसलिये यह भूमि मूर्ति के खाते से हटाकर वापस अपीलांट के पिता बद्रीदास के खाते दिनांक 31.03.1966 को दर्ज की गई। इसे अपीलांट की प्रस्तुत अपील मे ऊपर अंकित 2 बीघा 1 बिस्वा भूमि की सीमा तक निरस्त किया जावे। इस इंतकाल में भी कब्जा पुजारी बद्रीदास अंकित है। अपीलांट ने जमाबन्दी सम्वत् 2020 से 2023 पेश की जिसमे न्यायालय सहायक कलक्टर, छबडा के निर्णय से खाते बांधने का अंकन है तथा कब्जा बद्रीदास पुजारी का होना अंकित है, जमाबन्दी सम्वत् 2024–2026, सम्वत् 2028–30, सम्वत् 2032–2035 मे बद्रीदास के खाते पेश है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.04.26 16:50:07 IST
Reason: SetAttested

उक्त भूमि न्यायालय की डिग्री से अपीलांट के पिता के खाते दर्ज हुई, इसलिये यदि सरकार को इसमे आपत्तियॉ थी, तो उन्हे राजस्व अपील अधिकारी के यहॉ अपील प्रस्तुत करना था, जो नहीं की गई। न्यायालय की डिग्री को तहसीलदार इन्तकाल खोलकर निरस्त नही कर सकता, इंतकाल अवैध है। यदि तहसीलदार साहब को अपीलांट के पिता का नाम हटाना था, तो उन्हे राजस्व मण्डल मे रेफरेंस प्रस्तुत करना था, जो भी उन्होने नही किया। भूमि मूर्ति स्वंय के कब्जे मे कभी नही रही। जागीर रिजमशन के समय व राज. टेनेन्सी एक्ट लागू होने के समय भूमि मूर्ति के कब्जे मे थी, ऐसा कोई रिकार्ड भी सरकार ने पेश नही किया।

अपीलांट के अभिभाषक द्वारा अपने पक्ष समर्थन मे निम्न विधिक दृष्टांत RRD-14.6.2017 पेज नं. 364 State of Raj V/S Kailash & ors. Appeal N0 690/2014 Decided 0n 28.11.2016 एवं RRT- 2014-15 (Supp.) पेज नं. 138 Stata of Raj V/S Virendra Kumar, Bord of Revenue for Rajesthan Ajmer Reference LR No 5025 Jaipur of 2008 Decided 0n 14.05.2015 एवं RRD- 14.1.2013 पेज नं. 45 State of Raj V/S L.Rs. of Lalu & ors., Reference No 5146 Jaipur of 10 Decided 0n 03.12.2012 एवं RBJ- पेज नं. 712 Chatura Ram V/S Chola Ram अपील डिक्री/टी.ए./111/2001/जोधपुर निर्णय दि. 13.10.2016 भी पेश किये गये। जिनमे यह स्पष्ट दिशा निर्देश है कि भूमि मूर्ति के खुद काश्त मे नही होने से कब्जेधारी के खाते मे दर्ज होगी। उक्त भूमि उसी के खाते दर्ज की जानी चाहिये, जिसका कब्जा है, न्यायालय सहायक कलक्टर छबडा ने अपीलांट के कब्जा होने से मूर्ति के स्थान पर अपीलांट के पिता के खाते दर्ज की है। इस इंतकाल को खाले जाने की अपीलांट के पिता को कोई सूचना नही दी। अपीलांट को इंतकाल की जानकारी मिलने पर उसने यह अपील पेश की है। इंतकाल अवैध है, जो न्यायालय द्वारा डिग्री की अवहेलना कर तथा न्यायालय की अवमानना कर खोला गया है। अवैध कार्य को निरस्त कराने के लिये अपील जानकारी मिलने पर कभी भी की जा सकती है। इसलिये अपील अपीलांट स्वीकार कर इंतकाल नम्बर 689 दिनांक 26.07.1982 को अपीलांट के कब्जा काश्त की भूमि उक्त 2 बीघा 1 बिस्वा के बाबत निरस्त किया जाना चाहिये।

रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 की ओर से पेरोकार सरकार ने दौराने बहस प्रकरण मे तहसीलदार छीपाबडौद द्वारा प्रस्तुत जवाब को दोहराते हुये व्यक्त किया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील का बिन्दु संख्या 1 अस्वीकार है। वाद के इस बिन्दु मे वर्णित भूमि ग्राम छीपाबडौद जिला बारॉ के खसरा नम्बर 603 रकबा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 606 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 604/1288 रकबा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 608/1289 रकबा 05 बिस्वा किता 4 रकबा 2 बीघा 01 बिस्वा मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2013 से 2032 तक मे श्री रामचन्द्र जी विराजमान देह कब्जा पुजारी बद्रीदास वल्द गोपीदास कौम बैरागी के नाम दर्ज रिकार्ड थी। इसके अतिरिक्त इसी ग्राम के खसरा नम्बर 604 रकबा 3 बीघा 05 बिस्वा भूमि श्री रामचन्द्र जी विराजमान देह कब्जा पुजारी बद्रीदास वल्द गोपीदास कौम बैरागी के नाम दर्ज खाता संख्या 283 है। पुजारी बद्रीदास का देहान्त हो चुका है जिसके कायम मुकामान रिकार्ड पर नही लिए गये है।

अपील का बिन्दु संख्या 2 मे खाता संख्या 243 मे दर्ज भूमि रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा को नामान्तरण संख्या 147 दिनांक 31.03.1966 से बद्रीदास पुत्र गोपीदास बैरागी के नाम दर्ज कर दिया गया। जो विधि विरूद्व था, क्योकि उक्त भूमि माफी मन्दिर की थी। अतः उक्त नामान्तरण खारिज योग्य था।

अपील का बिन्दु संख्या 3 भूमि माफी मन्दिर श्री रामचन्द्र विराजमान सा0 देह की थी, जो सेटलमेन्ट के समय से ही मन्दिर के नाम दर्ज थी, उसे नामान्तरण संख्या 147 से पुजारी श्री बद्रीदास पुत्र गोपीदास के नाम दर्ज कर दी गयी है, जो विधि विरूद्व था। नामान्तरण संख्या 689 दिनांक 26.07.1982 से [illegible] की श्री रामचन्द्र जी विराजमान सा0देह पुजारी बद्रीदास वल्द गोपीदास बैरागी [illegible] नाम [illegible] कर दिया गया था। जो आंशिक रूप से सही था। उक्त भूमि माफी की है। अतः भू[illegible] रामचन्द्र जी महाराज विराजमान सा0 देह के नाम से दर्ज फरमावे [illegible] उचित होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.04.26 15:50:07 IST
Reason: SelfAttested

अपील का बिन्दु संख्या 4 अस्वीकार है उक्त भूमि सेटलमेन्ट के समय से मन्दिर रामचन्द्र जी महाराज के नाम दर्ज चली आ रही थी, जिसे नामान्तरण संख्या 147 से पुजारी श्री बद्रीदास पुत्र गोपीदास के नाम दर्ज कर दी गई थी। जो विधि विरूद्व थी। जो पुनः नामान्तरण संख्या 689 से श्री रामचन्द्र जी विराजमान सा0 देह पुजारी बद्रीदास वल्द गोपीदास बैरागी के नाम दर्ज कर दिया गया। पुजारी का नाम हटाया जाना उचित होगा।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मे नामान्तरकरण संख्या 689 दि. 26.7.1982 को दर्ज किया गया था। जिसको लगभग 33 वर्ष हो गये है। जो मियाद बाहर है। पेरोकार सरकार द्वारा अपने पक्ष समर्थन मे न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये जाकर अपील अपीलांट खारिज फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

प्रकरण मे उभयपक्ष के अभिभाषकारान की बहस सुनी उस पर मनन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। जिससे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबडौद द्वारा इन्तकाल नंबर 689 दिनांक 26.07.1982 कस्बा छीपाबडौद, तस्दीक किया गया है। जिसकी अपील अपीलांट द्वारा जर्ये विद्वान अभिभाषक इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गई है। जिसमे उभयपक्ष के अभिभाषक की बहस सुनी गई ओर अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त इंतकाल की प्रमाणित प्रति एवं प्रस्तुत अपील पर जवाब के अवलोकन से पाया गया कि उक्त विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड मे मंदिर के नाम है। उक्त विवादित भूमि जागीर अधिनियम, 1952 के तहत जागीर भूमि राजस्व रिकार्ड मे नही है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दियो मे कब्जा पुजारी बद्रीदास लिखा हुआ है। अपीलांट के पिता बद्रीदास खातेदार कृषक के रूप मे राजस्व रिकार्ड मे नही रहे है, मात्र कब्जेदार रहे है। इसलिये अपीलांट के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत विधिक दृष्टांत इस अपील पर साबित नही होते है।

उक्त इंतकाल की अपील अपीलांट द्वारा इस न्यायालय मे 33 वर्ष बाद काफी विलम्ब से प्रस्तुत की गई है ओर लिमिटेशन के बिन्दु पर कोई चाराजोही भी नही की गई है। इसमे अपीलांट की लापरवाही ही दृष्टिगोचर होती है, लापरवाह पक्षकार के प्रति नरमी का रूख नही अपनाया जा सकता। अपील प्रस्तुत करने मे हुई देरी के प्रत्येक दिन का युक्तियुक्त एवं समुचित कारण बताया जाना आवश्यक होता है।

प्रकरण मे पेरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों Rajasthan High Court (Jaipur Bench) Single Bench Rawal Dad- Appellant V/S Vasudevi- Resspondent Civil Revision Petition NO 106 of 1978 Decided on 28-03-1978 एवं Rajasthan High Court (Jaipur Bench) Present Jagdish V/S Modulal S.B. Civil Revision Petition No 703/98 Decided on 02.08.2000 एवं Rajasthan High Court (Jaipur Bench) Single Bench SMT. Kanidevi and another- Appellant V/S Ramesh chand and others- Resspondent Civil Miscellaneous Application NO 3107 of 2007 in S.B. Civil First Appeal No 93 of 2007 Decided on 30.03.2012 एवं Supreme Court of India Division Bench Maniben Devraj Shah Appellant V/S Municipal Corporation of Brihan मे प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार अपीलार्थी अपनी अपील के प्रति सजग नही रहा है एवं अपील प्रस्तुत करने मे हुई देरी का कोई समुचित कारण नही बता पाया है। जिससे अपील प्रस्तुत करने मे हुई 33 वर्ष की देरी को माफ नही किया जा सकता है एवं धारा 5 मियाद अधिनियम, 1963 का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य होने से यह न्यायालय अपील अपीलांट खारिज किया जाना उचित समझता है।

पेरोकार सरकार के कथन है कि मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2013 से 2032 तक मे श्री रामचन्द्र जी विराजमान देह कब्जा पुजारी [illegible] वल्द गोपीदास कौम बैरागी के नाम दर्ज रिकार्ड थी। इसके अतिरिक्त इसी ग्राम के [illegible] 604 रकबा 3 बीघा 05 बिस्वा भूमि श्री रामचन्द्र जी विराजमान [illegible] कब्जा पुजारी [illegible]स वल्द गोपीदास कौम बैरागी के नाम दर्ज खाता संख्या 283 है [illegible] चुका है जिसके कायम मुकामान रिकार्ड पर नही लिए गये है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.04.26 15:50:07 IST
Reason: SelfAttested

अपील का बिन्दु संख्या 2 मे खाता संख्या 243 मे दर्ज भूमि रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा को नामान्तरण संख्या 147 दिनांक 31.3.1966 से बद्रीदास पुत्र गोपीदास बैरागी के नाम दर्ज कर दिया गया। जो विधि विरूद्व था, क्योकि उक्त भूमि माफी मन्दिर की थी। अतः उक्त नामान्तरण खारिज योग्य था।

अपील का बिन्दु संख्या 3 भूमि माफी मन्दिर श्री रामचन्द्र विराजमान सा0 देह की थी, जो सेटलमेन्ट के समय से ही मन्दिर के नाम दर्ज थी, उसे नामान्तरण संख्या 147 से पुजारी श्री बद्रीदास पुत्र गोपीदास के नाम दर्ज कर दी गयी है, जो विधि विरूद्व था। नामान्तरण संख्या 689 दिनांक 26.7.1982 से उक्त भूमि को श्री रामचन्द्र जी विराजमान सा0देह पुजारी बद्रीदास वल्द गोपीदास बैरागी मे नाम दर्ज कर दिया गया था। जो आंशिक रूप से सही था। उक्त भूमि माफी की है। जिससे यह न्यायालय पूर्णतया सहमत है। अतः प्रकरण मे धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है, उक्त विवादित भूमि माफी मंदिर की है। उक्त भूमि को अपीलांट किसी भी प्रकार से अपने नाम कराने का अधिकारी नहीं होने से अपील खारिज की जाती है।

1. अपीलांट का Locus Standii केवल कब्जेदार का ही है।
2. प्रस्तुत अपील मे अभिवचनो/लिमिटेशन प्रार्थना पत्र की ताईद मे कोई शपथ पत्र भी संलग्न नही किया गया है।
3. भूमि मंदिर मूर्ति के नाम से रिकार्ड मे रही है, जो कि शाश्वत नाबालिग है।
4. शिकमी काश्तकार संबंधी प्रावधान विचाराधीन प्रकरण पर लागू नही होते है।

अपीलांट हरिबल्लभ पुत्र बद्रीलाल बैरागी निवासी छीपाबडौद कब्जे के आधार पर वादग्रस्त आराजी में कोई हक व हिस्सा प्राप्त करना चाहता है, तो उसे सक्षम न्यायालय में नियमित वाद प्रस्तुत करके ही कोई अनुतोष प्राप्त करना चाहिये था। इंतकाल की कार्यवाही में किसी के हित व स्वत्व निहित नहीं किये जा सकते हैं। इंतकाल कार्यवाही एक समरी प्रोसीडिंग है।

चूंकि वादी अपने वाद का स्वामी होता है। अतः अपीलांट के विद्वान अभिभाषक प्रस्तुत अपील की ताईद मे कोई भी विधिक तथ्य प्रस्तुत करने मे विफल रहने के कारण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छीपाबडौद द्वारा नियमानुसार विधिक प्रक्रिया के अनुरूप खोले गये इंतकाल नम्बर 689 दिनांक 26.7.1982 कस्बा छीपाबडौद मे यह न्यायायालय किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझता है।

परिणाम स्वरूप अपीलांट द्वारा जर्ये विद्वान अभिभाषक इस न्यायालय मे प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। यदि अपीलांट असंतुष्ट है तो वह किसी भी सक्षम अदालत से अन्यथा नियमानुसार अनुतोष प्राप्ति हेतु स्वतंत्र है।

निर्णय आज दिनांक 13.04.2022 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.04.26 15:50:07 IST
Reason: SelfAttested

(बृजमोहन बैरवा)
अति0 जिला कलक्टर
बारॉ